न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–112/2010–11 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

1– जगदीश सिंह, 2. शशिपाल सिंह पुत्र स्व0 बुद्धसिंह, निवासी–ग्राम चन्द्रौटी, पो0ओ0 सिनौला, जिला देहरादून।

बनाम

1– युद्धवीर सिंह, 2. रणवीर सिंह, 3. गजेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व0 शमशेर सिंह, निवासीगण–ग्राम चन्द्रौटी, पो0ओ0 सिनौला, जिला देहरादून, 4. श्रीमती कृति बंसल पत्नी विवेक बंसल, 5. विवेक बंसल पुत्र नन्दगोपाल बंसल , निवासीगण–215 डी0एल0रोड, देहरादून, 6. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर देहरादून, 7. ग्राम सभा चन्द्रौटी द्वारा ग्राम प्रधान चन्द्रौटी।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री सुनील कुमार त्यागी।
अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर देहरादून द्वारा वाद संख्या–40 वर्ष 2010 जगदीश सिंह आदि बनाम युद्धवीर सिंह अन्तर्गत धारा–229बी/209 जं0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 20–04–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्नवत् हैः–

निगरानीकर्तागण/वादीगण ने विचारण न्यायालय की पत्रावली में वाद पत्र कागज संख्या–3/1 से 3/8, में वर्णित वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध भूमिधरी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद दिनांक 18–08–2010 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद कार्यवाही के विचारण के दौरान वादी/निगरानीकर्ता जगदीश सिंह ने दिनांक 27–10–2010 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–229डी जं0वि0अधि0 का प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संख्या–1 से 5/प्रतिवादीगण को वाद के निस्तारण तक प्रश्नगत विवादित भूमि को विक्रय, स्थानान्तरण एवं प्रकृति परिवर्तित करने से निषिद्ध किया जाए। इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, देहरादून से जांच कर आख्या प्राप्त करने हेतु दिनांक 27–10–2010 को आदेश पारित किये गये। दिनांक 15–04–2011 तक 229डी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण न होने के कारण वादी के अधिवक्ता

ने इसी दिन एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण जबरदस्ती वादी की भूमि के एक भाग पर निर्माण कर रहे है अतः धारा–229डी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु कोई नजदीक की तिथि नियत कर उसका निस्तारण किया जाए। प्रार्थना पत्र दिनांक 15–04–2011 पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून ने निम्न आदेश दिनांक 15–04–2011 पारित किये।

"पेशकार–कृपया पक्षकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई की तिथि 19–04–2011 का उल्लेख करते हुए मेरे समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करे"।

निगरानीकर्तागण के अनुसार दिनांक 19–04–2011 को एक महिला अधिवक्ता की मृत्यु होने के उपरान्त उस दिन पत्रावली पर कोई सुनवाई नही हुई तथा दिनांक 20–04–2011 की तिथि नियत की गई (मूल पत्रावली पर ऐसा कोइ उल्लेख नही है)। प्रार्थना पत्र दिनांक 15–04–2011 पर ही सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून ने दिनांक 20–04–2011 को निम्न आदेश पारित किया।

"पत्रावली सुनवाई हेतु 29–04–2011 को नियत है 229डी पर उसी तिथि पर सुनवाई होगी। प्रार्थना पत्र दिनांक 15–04–2011 निरस्त किया जाता है।

इसी आदेश दिनांक 20–04–2011 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह निगरानी मात्र इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि वादीगण/निगरानीकर्तागण ने दिनांक 15–04–2011 को परीक्षण न्यायालय में उनके द्वारा पूर्व से प्रस्तुत अस्थाई व्यादेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–229डी ज0वि0अधि0 पर सुनवाई हेतु कोई निकटवर्ती तिथि निर्धारित कर उसके निस्तारणार्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून ने उक्त प्रार्थना पत्र पर निम्न आदेश पारित किया :–

"पत्रावली सुनवाई हेतु 29–04–2011 को नियत है 229डी पर उसी तिथि पर सुनवाई होगी। प्रार्थना पत्र दिनांक 15–04–2011 निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश का यह आशय हुआ कि अस्थाई व्यादेश सम्बन्धी प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु निगटवर्ती तिथि निर्धारित करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार की गई तथापि अस्थाई व्यादेश सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई दिनांक 29–04–2011 को होनी थी। स्पष्ट रूप से उक्त आदेश एक अन्तर्वर्ती एवं अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी ग्राह्य नही है। उक्त आदेश के उपरान्त भी निगरानीकर्तागण/वादीगण तात्कालिकता की स्थिति होने की दशा में परीक्षण न्यायालय से पुनः निकटवर्ती तिथि प्रदान करने हेतु आवेदन कर सकते थे अथवा सुनवाई की तिथि तक विवादित भूमि की स्थलीय स्थिति के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने का आवेदन कर सकते थे जो कि उनके द्वारा नही किया गया। अन्तरिम एवं अन्तर्वर्ती आदेश परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तित स्थितियों में उन्हें उसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अभी धारा–229डी ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

पर सुनवाई एवं उसका निस्तारण अभी भी लम्बित है। इस क्रम में लगभग 6 वर्ष का समय नष्ट हो गया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत यह निगरानी पोषणीय नहीं है।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है। उभयपक्ष परीक्षण न्यायालय में दिनांक 12–05–2017 को उपस्थित हों। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन वाद में प्रस्तुत धारा–229डी जं0वि0अधि0 के प्रार्थना पत्र पर बिना अतिरिक्त विलम्ब के सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकार विवादित भूमि के सम्बन्ध में विद्वान सहायक कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने की तिथि 12–05–2017 तक यथास्थिति बनाये रखेंगे। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **18–04–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)